पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 04 अभियुक्तों तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 24 अभियुक्तों गिरफ्तार।

दिनांक–23.04.2024

दिनांक 22/23.04.2024 को थाना आलमबाग 02, हजरतगंज 01, विकासनगर 01 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना रहीमाबाद 04, बाजारखाला 04, सआदतगंज 02, मलिहाबाद 03, तालकटोरा 01, ठाकुरगंज 02, पारा 03, काकोरी 01, दुबग्गा 01, माल 01, इटौंजा 01, चौक 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 24 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।

थाना पीजीआईः–दिनांक 22.04.2024 को एस0आई0 श्री धर्मवीर शाही थाना पीजीआई द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01–उदयराज पुत्र बराती लाल निवासी ग्राम दलपतखेड़ा थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष हाल पता बरौली खलीलाबाद थाना पीजीआई लखनऊ को दीनदयाल रोड नहर किनारे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद प्लास्टिक की पिपिया में 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना पीजीआई पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 दक्षिणी

गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।

थाना सुशान्तगोल्फ सिटी– दिनांक 22.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव–2024 के दृष्टिगत अभियुक्त 01. 01–मो0 सैय्यद बैलाल उर्फ बिलाल पुत्र सैय्यद मो0 जफर मूल निवासी ग्राम मानीकला निकट जामा मस्जिद खेता सराय जौनपुर हालपता टिक्कू के होटल के पीछे ग्राम तकरोही इन्दिरानगर लखनऊ व 546/3/112 अकबरनगर फैजाबाद रोड लखनऊ 02– रेनू सिंह पत्नी उमेश प्रताप सिंह पुत्री कल्पनाथ सिंह मूल निवासी सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरी बैगमगंज जनपद गोण्डा हालपता 92/15 डूडा कालोनी काशीराम योजना लौलाई थाना चनहट लखनऊ हालपता टिक्कू के होटल के पीछे ,ग्राम तकरोही थाना इन्दिरा नगर लखनऊ 03–संजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह मूल निवासी 118 सरसवां शाह खेड़ा के पास थाना सु0गो0सि0 लखनऊ हालपता टिक्कू के होटल के पीछे ,ग्राम तकरोही इन्दिरानगर लखनऊ 04–अशोक पुत्र स्व0 टिन्नालाल नि0 340 नीयर बाबा की कुटिया इब्राहिमपुर निलमथा थाना कैण्ट लखनऊ उम्र–48 वर्ष के विरूद्ध थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर धारा 2/3 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

थाना बिजनौर–दिनांक 22.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक श्री अरवन्दि कुमार राणा थाना बिजनौर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव–2024 के दृष्टिगत अभियुक्त 01.संदीप यादव पुत्र किशन चन्द्र यादव निवासी सरवन नगर कस्बा बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष व सदस्य 02.सुमित यादव पुत्र भगवानदीन निवासी रमना मल्हपुर थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 29 वर्ष 03.विनोद कुमार यादव पुत्र स्व. प्रभू यादव निवासी ग्राम सरवन नगर कस्बा व थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 45 वर्ष 04.विशम्भर दयाल यादव पुत्र स्व0 महावीर यादव निवासी ग्राम बलवन्त खेड़ा माती थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 60 वर्ष के विरूद्ध थाना बिजनौर पर धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगर–दिनांक 23.04.2024 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री शैलेन्द्र कुमार पुत्र लालता प्रसाद पता–वर्तमान समय में 01 बीएन यूपीएसएसएफ (32 वीं वाहिनी) ट्रांसपोर्ट नगर में तैनात है। प्रार्थी को फ्राडों द्वारा (मार्केट पायनियर) ग्रुप में एड किया गया। इसके बाद मो0नं0 7387153686 के द्वारा वादी को पर्सनल मैसेज किया गया और जालसाजी करके दिनांक 08.04.2024 को 02 लाख 05 हजार रूपये व 10.04.2024 को 02 लाख 05 हजार रूपये इस प्रकार कुल 04 लाख 10 हजार रूपये जालसाजी करके ले लिया गया। वादी को शेयर मार्केट का झांसा देकर वादी के खाते से उक्त धनराशि को जालसाजी करके ट्रांसफर करा लिये गये और वादी को बताया गया कि लाभ होने पर वादी अपना पैसा निकाल सकता है। किन्तु जालसाजों द्वारा वादी को उक्त ग्रप से एक्जिट कर दिया गया और वादी का मो0नं0 ब्लॉक कर दिया गया। **इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 158/2024 धारा 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना वजीरगंज–दिनांक 23.04.2024 को थाना वजीरगंज द्वारा बताया गया कि श्री अमित श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री कृपाशंकर श्रीवास्तव निवासी–गली नं0 9 अमन विहार कालोनी कैम्पवेल रोड थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना वजीरगंज पर सूचना दिया कि उसे सूचना मिली कि उसके छोटे भाई रोहित कुमार श्रीवास्तव उम्र करीब 32 वर्ष जो कि नशे का आदि था, का शव डालीगंज ऐशबाग रेलवे स्टेशन के मध्य अप रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ है। वह अपने परिजनों के साथ आया और शव का शिनाख्त किया कि उक्त शव उसके छोटे भाई रोहित कुमार श्रीवास्तव का ही है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री हरिदास चौरसिया मो0नं0 7839861054 थाना वजीरगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि जीआरपी द्वारा सूचना मिली कि आज दिनांक 23.04.2024 को समय करीब 06.00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति की किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के माध्यम से जानकारी कर परिजनों को सूचित कर मृतक का शिनाख्त किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
मृतक की एक पुत्री है।

थाना ठाकुरगंज–दिनांक 23.04.2024 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि श्रीमती कलावती पत्नी सोहनलाल निवासी–ग्राम बदौरा पोस्ट अहेम्दाबाद कटौली थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि वह वर्तमान में पन्नीवाली गली में राजकुमार के घर में पिछले करीब 07 वर्षों से अपने परिवार के साथ रहकर पालन पोषण कर रही है। उसका पुत्र रिंकू उम्र करीब 30 वर्ष जो कि पिछले करीब 10 से 12 वर्षों से नशे का आदि है और करीब 03 वर्षों से घर से बाहर रहकर इधर उधर घूमकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। आज दिनांक 23.04.2024 को सुबह करीब 11.30 बजे उसे पता चला कि उसके बेटे रिंकू कि मृत्यु हो गयी है। इस सूचना पर वह तुरन्त कोनेश्वर चौराहे पर पहुंची तो पता चला कि उक्त चौराहे पर स्थित मॉडल शॉप के सामने उसका पुत्र रिंकू उम्र करीब 30 वर्ष मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मो0नं0 6393349816 थाना ठाकुरगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के 01 पुत्र है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।